न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2 गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी–रेशमा खान, जिला न्यायाधीश संवर्ग

1. आपराधिक अपील संख्या 138/2022 (Cis No.36/2017)

सी.एन.आर. नंबर RJSM070004672017

1. कल्ला पुत्र रामचंद्र

2. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल

3. हरिसिंह पुत्र रामजीलाल

तीनों निवासी कमालपुर पी.एस. सदर गंगापुर सिटी

4. **उदयभान पुत्र भौरया निवासी रामसिंह पुरा थाना सदर गंगापुर सिटी– मृतक**

5. मल्ला पुत्र पुत्र भौरया निवासी रामसिंह पुरा थाना सदर गंगापुर सिटी।

अपीलार्थीगण

बनाम

राज.राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक प्रत्यर्थी

2. आपराधिक अपील संख्या 91/2022 (Cis No.38/2017)

सी.एन.आर. नंबर RJSM070004692017

रामदयाल पुत्र भौरीलाल निवासी उदेई कलाँ हाल निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज. अपीलार्थी

बनाम

1.राज.राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, गंगापुर सिटी

2. कल्ला पुत्र रामचंद

3. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल

4. हरिसिंह पुत्र रामजीलाल

5. **उदयभान पुत्र भौरया – मृतक**

6. मल्ला पुत्र पुत्र भौरया

सभी निवासी कमालपुरा पी.एस. वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर राज. प्रत्यर्थीगण

श्री मनोज तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.2 गंगापुर सिटी द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 651/2015 सरकार/कल्ला व अन्य में दिनांक 26.04.2017 को पारित निर्णय व दंडादेश के विरूद्ध अपील

<u>उपस्थिति,</u>

1. श्री जी.पी.सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त पक्ष
2. श्री रामदयाल त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलार्थी/परिवादी पक्ष
3. श्री घनश्यामसिंह, अपर लोक अभियोजक

निर्णय **दिनांक 22.07.2026**

1. प्रस्तुत दोनों अपील विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.2 गंगापुर सिटी के द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 651/2015 सरकार/कल्ला व अन्य में दिनांक 26.04.2017 को पारित आक्षेपित निर्णय व दंडादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके तहत विद्वान न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा 147, 447, 379 भा.दं.सं. में दंडित कर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ प्रदान किया गया है।

2. अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 26–04–2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को धारा 147, 447, 379 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया है को अपास्त कर दोषमुक्त करने की प्रार्थना की है।

3. अपीलार्थी/परिवादी रामदयाल की ओर से अपील प्रस्तुत कर अभियुक्त पक्ष को कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित करने की प्रार्थना की है।

4. अपील से संबंधित संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/परिवादी रामदयाल द्वारा परिवाद प्र.पी.6 विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि दिनांक 06.03.2001 को वह ग्राम रामसिंहपुरा स्थित अपनी आराजी खसरा नंबर 361 में सरसों की स्थिति को देखने गया तो देखा कि अभियुक्तगण उसकी फसल को काटकर ट्रेक्टर में भरकर ले जा रहे थे तथा परिवादी के विरोध के बावजूद फसल को बनियत चोरी कर ले गये। जिस पर पुलिस थाना वजीरपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2011 दर्ज की गई व बाद अनुसंधान एफआर पेश की गई, परिवादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई व धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत बयान लेखबद्ध कराए गए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर अपीलार्थी/अभियुक्तगण को आरोप विरचित कर सुनाये। अभियोजन की ओर से प्रकरण में 5 गवाह पेश किये गये तथा 8 दस्तावेज प्रदर्शित कराये। बयान मुलजिम लेकर विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 147, 447, 379 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध करार कर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ दिया गया है, जिसके विरूद्ध अभियुक्त पक्ष व परिवादी पक्ष की ओर से पृथक–पृथक अपील पेश की गई है।

5. अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपील मेमो में यह तथ्य परिलक्षित किये हैं कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की सही रूप से विवेचना नहीं की है। परिवादी द्वारा उक्त आराजी को न तो क्रय किया गया है न ही उसे खातेदार द्वारा दान की गई है न ही किसी अन्य स्रोत से परिवादी को प्राप्त हुई है, परिवादी का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है परिवादी जबर्दस्ती उक्त भूमि को हडपने की नियत से अपनी होना बताते हुए अपने द्वारा काश्त किया जाना बता रहा है। परिवादी ने परिवाद व प्रोटेस्ट पिटीशन में सरसों की फसल काश्त किया जाना और मुख्य परीक्षण बयानों में गेहूं की फसल काश्त करना बताया है। इस प्रकार परिवादी की फसल चोरी हुई वह सरसों की या गेहूं की यह स्पष्ट नहीं होने से इसका लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होना चाहिए। गवाहान के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। अपीलार्थीगण विवादित खेत के सदभाविक क्रेता, कब्जे काश्त हैं, उन्होंने फसल काश्त की व काटी है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण निर्दोष होते हुए दोषसिद्ध करने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजियात से परिवादी का कभी कोई संबंध नहीं रहा न ही उसने कभी काश्त की है। राजस्व वाद में हुए एकतरफा निर्णय के आधार पर परिवादी उक्त आराजियात को हडपना चाहता है इसलिए झूंठे तथ्यों पर प्रकरण दर्ज कराया है। अंत में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांक 26.04.2017 अपास्त कर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी/परिवादी की ओर से अपील मेमो में यह तथ्य परिलक्षित किये हैं कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित माना है कि विवादित जमीन पर घटना के समय परिवादी का कब्जा था व अभियुक्तगण द्वारा एक साथ होकर परिवादी के प्रति बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए बलवा कारित कर उसके खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवश कर परिवादी की फसल को ले जाकर चोरी की, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा से दंडित न कर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर कानूनी भूल की है। इस प्रकार के अपराधों के सजा नहीं दिये जाने से समाज में अपराधों को बढावा मिलता है, अतः अपील स्वीकार कर अभियुक्तगण को कठोर दंड से दंडित किया जाये।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्तगण ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए दोषमुक्त करने का निवेदन किया एवं अपने तर्क समर्थन में निम्न न्यायिक नजीर पेश की गई–

1. अमरिया/स्टेट ऑफ राज. 1987(1) आर.एल.आर.271

2. विद्याधर/स्टेट ऑफ राज. 2008(2) क्रि.लॉ.रि.(राज.)1541

3. बृजमोहन शर्मा/स्टेट ऑफ राज. 2009(2) क्रि.लॉ.रि.(राज.)1704

4. रामावतार/स्टेट ऑफ राज. 2006(1) क्रि.ला.रि.(राज.)665

8. परिवादी पक्ष की ओर से परिवीक्षा अधिनियम के आदेश को अपास्त कर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया,पत्रावली व आक्षेपित निर्णय तथा संबंधित विधि व्यवस्था का अवलोकन किया गया। इस अपील पत्रावली के निस्तारण हेतु इस न्यायालय के द्वारा यह देखा जाता है कि आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने में क्या विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है?

10. बहस सुन पत्रावली का अध्ययन एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण प्रदर्श पी.6 के जरिये संस्थित किया गया है। परिवादी रामदयाल ने यह आरोप लगाया कि दिनांक 06.03.2001 को वह ग्राम रामसिंहपुरा स्थित अपनी कृषि भूमि, जो खसरा संख्या 361, रकबा 5.28 हेक्टेयर है, पर गया, जहाँ उसने देखा कि अभियुक्तगण कल्ला, रामेश्वर, हरिसिंह, उदयभान एवं मल्ला उसकी खड़ी फसल को काटकर ट्रैक्टर में भर रहे हैं। परिवादी द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद अभियुक्तगण फसल को अपने साथ ले गए। उक्त घटना के संबंध में परिवादी ने धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर एफ.आई.आर. संख्या 56/2001 थाना वजीरपुर में धारा 143, 447 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान अनुसंधान अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विवादित भूमि पर कृषि कार्य एवं बुवाई अभियुक्तगण द्वारा की गई थी तथा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि परिवादी ने उक्त भूमि को जोता अथवा उसमें फसल बोई थी। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पक्षकारों के मध्य उक्त भूमि को लेकर दीवानी विवाद विद्यमान था। फलस्वरूप अनुसंधान अधिकारी ने यह अभिमत व्यक्त करते हुए कि विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है, नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त अंतिम प्रतिवेदन के विरुद्ध परिवादी द्वारा विरोध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। विरोध प्रार्थना–पत्र के समर्थन में परिवादी ने स्वयं सहित धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इरफान एवं अरमान अहमद के कथन भी दर्ज कराए गए। तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.08.2004 के आदेश द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 447 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का संज्ञान लिया। अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् विचारण प्रारम्भ हुआ तथा उनके विरुद्ध धारा 147, 379 एवं 447 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित किए गए। अभियोजन द्वारा कुल पाँच साक्षियों का परीक्षण कराया गया। विचारणोपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.04.2017 के निर्णय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अभियुक्तगण द्वारा

दोषसिद्धि एवं परिवीक्षा आदेश को चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की गई तथा परिवादी द्वारा भी पृथक अपील प्रस्तुत कर अभियुक्तगण को दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई।

11. यदि संपूर्ण अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य का गहन परीक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा कुल पाँच साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। इनमें पी.डब्ल्यू.–4 गंगासहाय, जो तत्कालीन पटवारी है, ने अपने कथनों में स्पष्ट किया है कि विवादित खसरा संख्या 361 परिवादी रामदयाल के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उसने जमाबंदी (प्रदर्श पी–2) तथा नक्शा ट्रेस (प्रदर्श पी–3) को भी प्रमाणित किया है। इस प्रकार पी.डब्ल्यू.–4 के कथनों से अधिकतम यही तथ्य सिद्ध होता है कि विवादित भूमि के संबंध में परिवादी का राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है अथवा उसका अभिलेखीय कब्जा प्रदर्शित होता है। तथापि, मात्र इस आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 447 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध स्वतः सिद्ध नहीं हो जाते। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुसंधान के दौरान तथा अंतिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि पर जुताई अथवा बुवाई परिवादी द्वारा की गई थी। इसके विपरीत अनुसंधान अधिकारी ने यह पाया कि बुवाई अभियुक्तगण द्वारा किया गया था। साथ ही यह तथ्य भी अभिलेख पर विद्यमान है कि पक्षकारों के मध्य भूमि के संबंध में दीवानी विवाद पूर्व से ही लंबित था। ऐसी स्थिति में केवल राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होना अथवा अभिलेखीय कब्जा प्रदर्शित होना, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि विवादित फसल परिवादी द्वारा ही बोई एवं उगाई गई थी।

12. धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक था कि अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करता कि जिस कृषि उपज को अभियुक्तगण द्वारा काटकर ले जाने का आरोप है, वह वास्तव में परिवादी द्वारा बोई एवं उगाई गई थी। किंतु संपूर्ण अभिलेख पर ऐसा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अभियोजन पक्ष की ओर से कोई काश्तकार, बीजों के बिल, गिरदावरी का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। जिससे यह तथ्य सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि पर बुवाई परिवादी द्वारा की गई थी। फलस्वरूप यह भी सिद्ध नहीं हो पाता कि कथित कृषि उपज परिवादी की संपत्ति थी, जिसके कारण धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक अवयव सिद्ध नहीं होते। इसी प्रकार धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आपराधिक अतिचार का अपराध सिद्ध करने के लिए भी केवल अभिलेखीय कब्जा पर्याप्त नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जबकि भूमि पर वास्तविक खेती एवं कब्जे के संबंध में गंभीर दीवानी विवाद विद्यमान हो तथा अभियोजन उस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा हो।इसी

प्रकार धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा विधि–विरुद्ध जमाव का गठन किए जाने तथा समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु बल अथवा हिंसा का प्रयोग किए जाने संबंधी आवश्यक तत्वों का भी अभियोजन विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्यों द्वारा प्रतिपादन नहीं कर सका है। केवल अनेक व्यक्तियों का विवादित भूमि पर उपस्थित होना, बिना किसी ठोस साक्ष्य के कि वे किसी अवैध सामान्य उद्देश्य से एकत्रित हुए थे अथवा उन्होंने बल अथवा हिंसा का प्रयोग किया, धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

13. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि अनुमान, संदेह अथवा कमजोर एवं तुच्छ साक्ष्यों के आधार पर नहीं की जा सकती। अभियोजन पर यह विधिक दायित्व है कि वह अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करे। यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दो संभावित दृष्टिकोण उभरते हों, तो वह दृष्टिकोण स्वीकार किया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो।

14. अभिलेख के परीक्षण से एक अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी त्रुटि भी दृष्टिगत होती है। अभिलेख से परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण को धारा 200 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज कथनों के संबंध में प्रभावी प्रतिरक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा उन्हें अपने बचाव के साक्ष्य प्रस्तुत करने के मूल्यवान अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण परिवाद पर संस्थित वारण्ट प्रकरण होने के बावजूद, बाद उपस्थिति अभियुक्तगण को प्रीचार्ज साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से अभियुक्तगण को वास्तविक प्रतिकूलता (prejudice) हुई है तथा निष्पक्ष विचारण के मूल सिद्धांत प्रभावित हुए हैं। ऐसी गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि विचारण की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और संपूर्ण विचारण को मूल स्तर पर ही प्रभावित करती है।

15. अतः समस्त साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन विवादित फसल की बुवाई परिवादी द्वारा किए जाने, अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अतिचार अथवा चोरी किए जाने तथा विधि–विरुद्ध जमाव के आवश्यक अवयवों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त, विचारण के दौरान अभियुक्तगण के मूल्यवान प्रक्रिया संबंधी अधिकारों का भी समुचित संरक्षण नहीं किया गया। इन समस्त परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि विधिसम्मत नहीं रहती है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है एवं अपीलार्थी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

आदेश

16. परिणामतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2 गंगापुर सिटी द्वारा आ.प्र.सं. 651/2015 सरकार बनाम कल्ला व अन्य में दिनांक 26.04.2017 को पारित निर्णय में अभियुक्तगण को धारा 147, 447, 379 भा.दं.सं. हेतु पारित दोषसिद्ध एवं दंडादेश को अपास्त कर अभियुक्तगण को धारा 147, 447, 379 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अपीलार्थी/परिवादी रामदयाल द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति के अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी

18. निर्णय आज दिनांक 22.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(रेशमा खान)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
गंगापुर सिटी.